



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना-पत्र संख्या:- 2025 / 738

दर्ज तिथि:-17.11.2025

1. आसूराम पुत्र केसाराम
जाति भील निवासी सणतरा तहसील भीनमाल जिला जालोर।

पार्टी संख्या 01

2. रिड़मलराम पुत्र भगाराम
जाति भील निवासी भाखरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

पार्टी संख्या 02

3. चनणाराम पुत्र भगाराम
जाति भील निवासी भाखरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

पार्टी संख्या 03

बनाम

1. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:-श्री डालूराम चौधरी

अप्रार्थीगण:- एकतरफा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-131,136

राजस्थान भू-राजस्व अधि.-1956

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-21.11.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि



- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 161/0.2428 है0 मौजा भाखरपुरा तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 01 की खातेदारी आराजी है।
- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 161/1/0.1862 है0 मौजा भाखरपुरा तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 02 की खातेदारी आराजी है।



- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 161/2/0.1862 है0 मौजा भाखरपुरा तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 03 की खातेदारी आराजी है।
 - पार्टी संख्या 01 ता 03 की उक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 161, 161/1 एवं 161/2 मूल खसरा संख्या 161 से विभक्त होकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में संधारित हैं।
 - उक्त खसरों का रकबा सही दर्ज किया गया है परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा तरमीम मौका एवं कब्जे अनुसार नहीं कर भिन्न तरमीम किये जाने से मौके व रेकॉर्ड में भिन्नता आ गई है।
 - पार्टी संख्या 01 ता 03 अपनी खातेदारी आराजी पर मौके पर काबिज काश्त हैं तथा मौके पर रहवासी ढाणियां, चारवाड़े व टांके बने हुए हैं। उक्त सभी खसरा मूल खसरा संख्या 161 से बने हुए हैं परन्तु वर्तमान तरमीम व मौके पर भिन्नता है।
 - पार्टी संख्या 01 ता 03 अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 161/0.2428 है0, 161/1/0.1862 है0, 161/2/0.1862 है0 की तरमीम सहमति से प्रकरण में प्रस्तुत परिशिष्ट 'बी' के अनुसार करवाना चाहते हैं।
2. असल में प्रार्थीगण पार्टी संख्या 01 ता 03 की आराजी की तरमीम परिशिष्ट-बी के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में पार्टी संख्या 01 ता 03 के खसरा संख्या 161, 161/1, 161/2 की ऑनलाइन तरमीम मौके पर कब्जे के अनुसार परिशिष्ट-बी के अनुसार दुरुस्त की जावे। अतः पार्टी संख्या 01 ता 03 की आराजी की तरमीम परिशिष्ट-बी के आधार दुरुस्त कर रिकॉर्ड दुरुस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
3. प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट-बी के आधार दुरुस्त कर रिकॉर्ड दुरुस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।
5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरुस्त करवाने हेतु परिशिष्ट-बी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट-बी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्तमान तरमीम

प्रस्तावित तरमीम परिशिष्ट-बी'



6. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी 161/0.2428 है0, 161/1/0.1862 है0, 161/2/0.1862 है0 की तरमीम सहमति से परिशिष्ट 'बी' अनुसार किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में सभी संबंधित हितबद्ध पक्षकारों के आपस में सहमत होने तथा किसी अन्य प्रभावित खातेदार नहीं होने के साथ ही किसी भी बाहरी खातेदार के खसरे की सीमाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट 'बी' अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट 'बी' अनुसार तरमीम दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट 'बी' निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर